भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 880

04 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट्स (एमपीएच)

†880. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट्स (एमपीएच) को वजीफा प्रदान करने और उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले विभिन्न संस्थानों के छात्रों के बराबर मानते हुए वजीफा प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वजीफा न दिए जाने के कारण तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में अध्ययनरत एमपीएच विद्यार्थियों को हो रही कठिनाइयों का विश्लेषण किया है और यदि हाँ, तो उसे दूर करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव एमपीएच विद्यार्थियों को भी समान प्रकृति के अन्य चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की भांति वजीफा भुगतान के दायरे में शामिल करने का है और यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अन्य संस्थानों में एमपीएच पाठ्यक्रम के दौरान अध्ययनरत विद्यार्थियों को वजीफा दिए जाने का प्रावधान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी (एससीटीआईएमएसटी), तिरुवनंतपुरम में संचालित मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (एमपीएच) कार्यक्रम को एक शैक्षणिक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में माना जाता है न कि रेज़िडेंसी-आधारित क्लिनिकल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। एमपीएच के छात्र किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान नहीं करते हैं। रेज़िडेंसी-आधारित क्लिनिकल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा शैक्षणिक स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के बीच स्पष्ट नीतिगत अंतर होता है। एमपीएच कार्यक्रमों के लिए वजीफा प्रदान करने संबंधी कोई विशिष्ट सरकारी आदेश अथवा दिशा-निर्देश नहीं हैं।

(ख) एससीटीआईएमएसटी, तिरुवनंतपुरम में एमपीएच कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र पूरी तरह से अवगत हैं कि यह एक गैर-वजीफा शैक्षणिक कार्यक्रम है और इस कारण वजीफा न दिए जाने संबंधी कोई विवाद नहीं है। तथापि, जरूरतमंद छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, संस्थान अर्हताप्राप्त छात्रों को मौजूदा सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं जैसे ई-ग्रांटज़ और अन्य लागू गैर-पेशेवर पाठ्यक्रम छात्रवृत्तियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता करता है।

(ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा जारी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम-2023 के अनुसार वजीफ़ा केवल चिकित्सा विशेषज्ञताओं के लिए ही निर्धारित है। वर्तमान में, चिकित्सा संस्थानों में क्लिनिकल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए लागू वजीफ़ा योजना के दायरे में एमपीएच छात्रों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सामान्य रूप में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य मेडिकल कॉलेजों और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में एमपीएच कार्यक्रमों को गैर-वजीफ़ा शैक्षणिक कार्यक्रमों के रूप में माना जाता है। तथापि, कुछ संस्थानों जैसे राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (एनआईई), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (आईआईपीएच) में एमपीएच पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शिक्षाशुल्क माफी के रूप में सीमित और चयनात्मक सहायता प्रदान की जाती है।

*****